[2021] 14 एस. सी. आर 836

मृत्यु और ओआरएस।

बनाम

सी. सारदाम्बल एंड ओआरएस।

(2010 की सिविल अपील सं. 4270)

10 दिसंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव और बी. वी. नागरत्ना, जेजे।]

होगाः वसीयत के निष्पादन में संदिग्ध परिस्थितियाँ-वसीयतकर्ता के बेटे के नाम पर वसीयत, वसीयतकर्ता के नाम को छोड़कर

बेटियाँ वसीयतकर्ता का बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद ग्यारह साल तक जीवित रहा-वसीयतकर्ता के बेटे की पत्नी द्वारा वसीयतकर्ता की मृत्यु के पंद्रह साल बाद दायर प्रशासन के पत्रों की मांग करने वाली याचिका वसीयतकर्ता प्रतिवादियों की बेटियाँ इस आधार पर याचिका को खारिज करने की मांग करती हैं कि वसीयत गढ़ी गई थी-आयोजितः यह बहुत ही असंभव है कि वसीयतकर्ता का इकलौता बेटा, जो एक वकील था और जिस पर घर का वसीयत किया गया था, अपने पिता द्वारा वसीयत के निष्पादन से अनजान था-यह अस्वाभाविक है कि पिता ने अपने इकलौते बेटे को संपत्ति के वसीयत के बारे में खुलासा नहीं किया होगा और अपने बेटे की सहायता भी नहीं ली होगी।

वसीयत तैयार करने के साथ-साथ वसीयत के निष्पादन में-वसीयतकर्ता को एक लकवाग्रस्त आघात का सामना करना पड़ा था जिससे उसकी बोली, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर की गतिशीलता प्रभावित हुई थी और वह अपनी मृत्यु से पहले दस महीने की अवधि के लिए बिस्तर पर पड़ा हुआ था।

इस पर विचार करते हुए, इस बात पर संदेह पैदा किया जाता है कि वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु से पंद्रह दिन पहले वसीयत बनाने के समय स्वस्थ और मानसिक स्थिति में था या नहीं-वसीयत के प्रस्तावक द्वारा न्यायालय के मन में उक्त संदेह को दूर नहीं किया गया है, यानी प्रथम वादी ने कोई विरोधाभासी चिकित्सा साक्षय या डॉक्टर का साक्षय प्रस्तुत करके जो वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले उसका इलाज कर रहा था-वसीयतकर्ता ने स्वयं कथित वसीयत में कहा था कि वह बीमार था और कमजोर हो रहा था, फिर भी कहा जाता है कि उसने खुद वसीयत "लिखी" थी जो विश्वसनीय नहीं है - उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करना होता है और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर ऐसे होने चाहिए कि वह वसीयत के लेखन को प्रभावी बनाने के लिए "इरादा" रखता है।

836 मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

न्यायालय के समक्ष ठोस साक्षय प्रस्तुत करके साबित किया गया-कोई नहीं है

सबूत जिनके बारे में वसीयतकर्ता ने वसीयत लिखने के निर्देश दिए थे

- लेखक की भी जांच नहीं की गई थी-दस्तावेज़ के निष्पादन को साबित करने के लिए जैसे कि एक वसीयतनामा, कम से कम एक प्रमाणक

जिन गवाहों ने इसे सत्यापित किया था, उन्हें सबूत देने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

इसके निष्पादन के प्रमाण के उद्देश्य से-एक प्रमाणक की मृत्यु हो गई थी

-

दूसरे प्रमाणक, पीडब्लू2 ने अपना साक्षय दिया था-पीडब्लू2 को पदच्युत कर दिया गया था

कि वसीयत को पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि वसीयतकर्ता अस्वस्थ था और

वास्तव में, वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था-उसका बयान काफी घातक था वसीयत के लाभार्थी के मामले पर भी सुनवाई अदालत ने विश्वास नहीं किया था

पीडब्लू2-उत्तरदाताओं-वादी का साक्षय सफल नहीं हुआ

के बहुत निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में वसीयत को किसी भी ठोस साक्षय द्वारा साफ़ नहीं किया गया था, बल्कि,

वसीयत की वास्तविकता संदेह में बनी रही-कथित वसीयत कानून की नजर में एक वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण, प्रशासन का कोई पत्र नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थियों को दिया गया-वादी-उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - एस. 63.

निर्णय/आदेश: तर्कसंगत आदेश-अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य

निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए, उसमें संशोधन करते हुए या उसे उलटते हुए

- आयोजित किया गया: अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णय को उलटने, पुष्टि करने या संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र है-हालांकि,

विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते या संशोधित करते समय, यह है -

कारणों द्वारा समर्थित अभिलिखित निष्कर्षों पर दिमाग का अनुप्रयोग, निपटाए गए सभी मुद्दों के साथ-साथ सामने रखी गई दलीलों पर, और

अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए पक्षों द्वारा दबाव डाला गया-इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपीलीय न्यायालय किसी विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करता है, तो तर्क को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि पुनः

साक्षय की सराहना और निर्णय पर पुनर्विचार

विचारण न्यायालय के आवश्यक सहवर्ती हैं-लेकिन पलटते हुए

एक परीक्षण न्यायालय का एक निर्णय, अपीलीय न्यायालय को अधिक होना चाहिए

ऐसा करने के कारणों को निर्धारित करने में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत -

तत्काल मामला, उच्च न्यायालय ने मुकदमे के फैसले पर विचार किया है

एक संक्षिप्त विधि में न्यायाधीश, तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों पर विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए सभी तर्कों से रहित।

निर्णय/आदेशः अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य, उलटते हुए

निचली अदालत का फैसला-आयोजितः प्रत्यावर्तन का निर्णय लिखते समय, एक अपीलीय न्यायालय को दो सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना चाहिए।

सबसे पहले, परस्पर विरोधी साक्षयों पर आधारित तथ्यों के निष्कर्ष [2021] 14 एस. सी. आर. तक पहुँचे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के साथ विचार किया जाना चाहिए, अधिक तो

जब निष्कर्ष उसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज मौखिक साक्षय पर आधारित होते हैं जो निर्णय का लेखक होता है-यदि, साक्षय के मूल्यांकन पर, यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय का निर्णय एक भौतिक अनियमितता से ग्रस्त है या अस्वीकार्य साक्षय या अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है, तो अपीलीय न्यायालय तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का हकदार है, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस कारण निर्धारित करता है-अन्यथा, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को तथ्य के प्रश्न पर हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए-दूसरा, तथ्य के निष्कर्ष को उलटते समय, यह आवश्यक है कि अपीलीय न्यायालय ऐसा करने के लिए अपने स्वयं के कारण निर्धारित करे-यह विशेष रूप से तब होता है जब एस के तहत आगे की अपीलें

होती हैं। 100 , सी. पी. सी., प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में तथ्यों का अंतिम न्यायालय है और उक्त निष्कर्ष दूसरी अपील में चुनौती से मुक्त हैं।

अपील: अपील दायर करने का अधिकार-आयोजित: अपील करने का अधिकार कानून का एक हिस्सा है-मूल न्यायालय के फैसले पर हमला करने वाले असफल पक्ष द्वारा अपील दायर करने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और इसलिए अपीलीय न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह तथ्य और लागू कानून दोनों के प्रश्नों पर पहली अपील का निर्णय करे-इसलिए, संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों और न्यायिक पूर्ववर्ती और मामले में लागू कानून के आलोक में साक्ष्य की पुन: सराहना को ईमानदारी से निपटाया जाना चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. प्रतिवादी-वादी साबित करने में विफल रहे हैं

इच्छा का निष्पादन। इसलिए, एक्स-पी1, कानून की नजर में एक वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थियों-वादियों को कोई प्रशासन पत्र नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायाधीश मुकदमा खारिज करने में सही थे। हालाँकि, अपीलीय न्यायालय डिवीजन बेंच होने के नाते ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री को उलट दिया है और मुकदमे का फैसला सुनाया है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय गूढ़ तरीके से लिखा गया था। यह देखा गया है कि निर्णय संक्षिप्त और संक्षिप्त हो सकता है यदि अपीलीय न्यायालय किसी अपील को खारिज करता है और निचली अदालत के फैसले और डिक्री की पुष्टि करता है। लेकिन जब विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को उलटना होता है तो मृत्यु और ओ. आर. एस. पर विचार करना अपीलीय न्यायालय का दायित्व होता है।

वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

मामले में विस्तार से चर्चा करना और उसे पलटने के कारण बताना। कारण निर्दिष्ट करने से न केवल निर्णय होता है

हितकर है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने और उचित निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए भी आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों पर निचली अदालत के फैसले को उलटते हुए सभी तर्कों से रहित, निचली अदालत के न्यायाधीश के फैसले को संक्षिप्त तरीके से निपटाया है। यह सामान्य बात है कि अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णय को उलटने, पुष्टि करने या संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र है। हालाँकि, किसी विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते या संशोधित करते समय, यह अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने निर्णय में निष्कर्षों पर सचेत रूप से विचार करे।

कारण द्वारा समर्थित, निपटाए गए सभी मुद्दों के साथ-साथ प्रस्तुत की गई दलीलों को दर्ज किया जाता है, और पक्षकारों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए दबाव डाला जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं

है कि जब अपीलीय न्यायालय किसी विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करता है, तो तर्क को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि साक्षय की पुनः प्रशंसा और विचारण न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार आवश्यक है।

सहयोगी। लेकिन निचली अदालत के फैसले को पलटते समय, अपीलीय अदालत को ऐसा करने के कारणों को निर्धारित करने में अपने कर्तव्य के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए। [पारस 35,36,37] [859-ई-एच; 860-ए-डी]

2. मूल न्यायालय के फैसले पर हमला करने वाले असफल पक्ष द्वारा अपील दायर करने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और इसलिए तथ्य और लागू कानून दोनों के प्रश्नों पर पहली अपील पर निर्णय लेने का कर्तव्य अपीलीय न्यायालय पर डाला गया है। इसलिए, संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई दलीलों और न्यायिक पूर्ववर्ती और मामले में लागू कानून के आलोक में साक्षय की पुनर्मूल्यांकन से ईमानदारी से निपटा जाना चाहिए। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने केवल निचली अदालत के न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके फैसले को उलट दिया है।

साक्षय का पुनर्मूल्यांकन और निष्कर्ष दिए बिना तथ्य के साथ-साथ लागू कानून पर प्रश्न और यह तर्क न देकर कि विचारण न्यायाधीश का निर्णय गलत क्यों था। [पारस 41,42] [862-बी-डी]

संतोष हजारी बनाम। एल. आर. एस. (2001) द्वारा पुरुषोत्तम तिवारी (मृतक) 3 एस. सी. सी. 17; बी. वी. नागेश बनाम। एच. वी. श्रीनिवास मूर्ति (2010) 13 एससीसी 530: [2010] 11 एससीआर 784; विनोद कुमार बनाम। गंगाधर (2015) 1 एस. सी. सी. 391: [2014] 10

एससीआर 1050-पर निर्भर।

H.Venkatachala अयंगर बनाम. B.N.Thimmajamma AIR

1959 एससी 443: [1959] पूरक। एस. सी. आर. 426; जसवंत कौर

वी. अमृत कौर और अन्य (1977) 1 एस. सी. सी. 369: [1977] 1

एस. सी. आर. 925; भारपुर सिंह और अन्य बनाम। शमशेर सिंह

(2009) 3 एससीसी 687: [2008] 17 एस. सी. आर. 517; नारंजन

उमेशचंद्र जोशी बनाम। मृदुला ज्योति राव, (2006) 13

एस. सी. सी. 433 [2006] 10 पूरक। एससीआर 1214; अनिल काक बनाम। शारदा राजे (2008) 7 एससीसी 695: [2008] 6 एससीआर 1009;

लीला राजगोपाल और अन्य बनाम। कमला मेनन

कोचरान और अन्य (2014) 15 एस. सी. सी. 570: [2014] 7

एस. सी. आर. 697 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1959] पूरक। एससीआर 426

पैरा 30

(ए)

संदर्भित किया गया है

[1977] 1 एससीआर 925

पैरा 30

(बी)

संदर्भित किया गया है

[2008] 17 एससीआर 517

पैरा 30

(सी)

संदर्भित किया गया है

[2006] 10 पूरक। एससीआर 1214

पैरा 30

(डी)

संदर्भित किया गया है

[2008] 6 एससीआर 1009

पैरा 30

(ई)

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

(एफ)

[2014] 7 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

(2001) 3 एस. सी. सी. 17

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[2010] 11 एससीआर 784

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[2014] 10 एससीआर 1050

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 427

2010 से।

उच्च न्यायालय के 08.12.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 के ओ. एस. ए. No.470 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

एस. वल्लीनायगम, ऋत्विक पांडा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना जे।

यह अपील 08 दिसंबर के फैसले और डिक्री पर आधारित है।

2008 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2002 के ओ. एस. ए. सं. 470 में पारित किया गया, जिसके द्वारा टी. ओ. एस. सं. 2 मृत्यु और ओ. आर. एस. में निर्णय और डिक्री पारित की गई।

वी. सी. सारदाम्बल एंड ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना जे.]

1994 का, जिसमें उच्च न्यायालय के विद्वत विचारण न्यायाधीश ने प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए मुकदमे को खारिज कर दिया था, को दरकिनार कर दिया गया था और उक्त मुकदमे का आदेश दिया गया था।

2. सुविधा के लिए, पक्षों को 1993 के ओ. पी. संख्या 150 में उनकी स्थिति के संदर्भ में संदर्भित किया जाएगा जिसे

1994 का टी. ओ. एस. सं. 20, जो पत्रों के अनुदान के लिए दायर किया गया था प्रशासन।

3. यह वादी का मामला है कि प्रथम वादी के ससुर ई. श्रीनिवास पिल्लई की मृत्यु 19 जनवरी, 1978 को हुई थी और उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत और 4 जनवरी, 1978 का वसीयतनामा छोड़ दिया था। कहा जाता है कि उक्त वसीयत को दो प्रमाणकों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया था। वसीयतकर्ता ई. श्रीनिवास पिल्लई का एक बेटा था, जिसका नाम एस. दामोदरन था, जिसकी 3 जून को निर्वसीयत मृत्यु हो गई।

1989 मद्रास में, वादी को पीछे छोड़ते हुए-पत्नी सी. सारदांबल और उनकी दो बेटियाँ। , 20 वर्षीय डी. प्रेमा और 18 वर्षीय डी. दीपालक्ष्मी। वसीयतकर्ता, अपने बेटे, एस. दामोदरन के अलावा, अपने पीछे दो बेटियाँ छोड़ गए। , सावित्री अम्मल, पी. एम. एलुमलाई की पत्नी और टी. राजाराम की पत्नी पद्मावती।

5. वादी-C.Saradambal ने कहा कि वह वसीयतकर्ता के ऋणों और विरासतों का भुगतान करके और उनकी पूरी और सही सूची बनाकर वसीयत के अनुसार मृतक की संपत्ति का विधिवत प्रशासन करने का कार्य करेगी और उसे न्यायालय में प्रदर्शित करेगी। 6. वसीयतकर्ता की बेटियों ने एक लिखित बयान दाखिल करके उक्त वसीयतनामा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वसीयत मनगढ़ंत थी और उक्त दस्तावेज़ में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर जाली थे और

यही वादी द्वारा अपने पति की मदद से तैयार किया गया एक दस्तावेज था।

वे मित्र जो वसीयत के प्रमाणक गवाह थे। इसने स्पष्ट किया कि वसीयत के प्रमाणकों का मृतक वसीयतकर्ता ई. श्रीनिवास पिल्लई के साथ कोई संबंध नहीं था। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वे अपने पिता की देखभाल करते थे जब वह मृत्युशय्या पर थे। यह आगे तर्क दिया गया कि [2021] 14 एस. सी. आर.

मृतक वसीयतकर्ता ई. श्रीनिवास पिल्लई को लकवा का दौरा पड़ा था और वह लिखने या हिलने-डुलने में असमर्थ थे। यह आग्रह किया गया कि वसीयत को कानून के अनुसार सभी संदिग्ध परिस्थितियों को हटाकर साबित किया जाना चाहिए।

उसी का निष्पादन, न्यायालय की अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए। यह तर्क दिया गया था कि धोखाधड़ी और जाली वसीयत के कारण प्रतिवादियों को निर्वसीयत उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया था।

7. प्रतिवादियों ने कहा कि उनके पिता की मृत्यु 19 जनवरी को हुई थी।

1978 , कि उनकी माँ की मृत्यु उनसे पहले हो चुकी थी और उनके भाई की भी 1989 में मृत्यु हो गई थी। प्रतिवादियों ने यह भी कहा कि पहले वादी ने 7 जून, 1970 को प्रतिवादियों के भाई से शादी की थी। दूसरे और तीसरे वादी उक्त विवाह से पैदा हुई बेटियाँ थीं। पहले वादी ने जानबूझकर अपने पति को छोड़ दिया था और वैवाहिक याचिका भी दायर की थी 1988 की सं. 136 वाली याचिका, जिसमें तलाक की डिक्री द्वारा उसकी शादी को भंग करने की मांग की गई थी, लेकिन चूंकि 3 जून, 1989 को प्रतिवादियों के भाई की मृत्यु हो गई थी, इसलिए विवाह को भंग करने के लिए उक्त याचिका निष्फल हो गई। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पहले वादी ने कभी भी अपने भाई की परवाह नहीं की। यह आगे तर्क दिया गया कि उनके भाई, एस. दामोदरन अपने पिता की मृत्यु के बाद ग्यारह साल तक जीवित रहे और उन्होंने कभी भी उनके पिता द्वारा वसीयत के निष्पादन के बारे में खुलासा नहीं किया था।

अनुसूचित संपत्ति में हिस्सेदारी और ढाई महीने की अवधि के इंतजार के बाद, उन्होंने संपत्ति के उक्त दो-तिहाई हिस्से के विभाजन और अलग कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था। 9. यह आगे बताया गया कि वसीयतकर्ता, ई. श्रीनिवास पिल्लई पूरी तरह से बिस्तर पर थे, कुछ भी लिखने और समझने में असमर्थ थे।

उनकी मृत्यु से पहले दस महीने की अवधि के लिए। गवाहों के नाम और वसीयत का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम कभी नहीं था

10. प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका को टी. ओ. एस. होने के कारण टेस्टामेंटरी ओरिजिनल सूट में परिवर्तित कर दिया गया था। 1994 का सं. 20।

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

11. विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों को विचार के लिए तैयार किया:

" (1) क्या वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत का निष्पादन किया गया था, जबकि

ध्वनि और मन की स्थिति का निपटान? और

(2) पक्ष किस राहत के हकदार हैं? ”

13. विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री से व्यथित होने के कारण, वादी ने ओ. एस. ए. के रूप में अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 का सं. 470। डिवीजन बेंच ने 8 दिसंबर, 2008 के विवादित फैसले और डिक्री के माध्यम से अनुमति दी

अपील की और मुकदमे का फैसला सुनाया। इसलिए यह अपील की गई है।

14. हमने श्री एस. वल्लीनायगम, अपीलार्थियों के विद्वान वकील, श्री के. के. मणि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील और

16. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि वह वसीयतनामा, जिसके आधार पर उत्तरदाताओं ने प्रशासन के पत्रों का अनुदान मांगा था, गढ़ा गया था। अपीलार्थियों के पिता, ई. श्रीनिवास पिल्लई, अपनी मृत्यु से पहले बिस्तर पर थे क्योंकि उन्हें लकवा का दौरा पड़ा था और वे हस्ताक्षर करने या लिखने की स्थिति में नहीं थे और न ही वे स्वस्थ मनोस्थिति में थे। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वह उस घर की वसीयत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जिसमें वह रह रहे थे, विशेष रूप से अपने बेटे एस. दामोदरन के पक्ष में। उन्होंने तर्क दिया कि वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों में किया जाता है क्योंकि विवादास्पद दस्तावेज़ पर पाए गए हस्ताक्षर भी वसीयतकर्ता के नहीं हैं। उसी के बारे में विस्तार से बताते हुए, यह आग्रह किया गया कि उत्तरदाताओं ने उक्त [2021] 14 एस. सी. आर. पर हस्ताक्षर को प्रदर्शित करने के लिए Exs.P2 और पी. 3 पर निर्भरता रखी थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज़। हालाँकि, उक्त हस्ताक्षरों की सरसरी नज़र में भी यह स्पष्ट है कि वे मेल नहीं खाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थियों के प्रयास घर की संपत्ति को नष्ट करने के लिए किए गए हैं जैसे कि यह प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति और प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के पिता को वसीयत किया गया है, अपीलार्थियों के बहिष्कार के लिए जो मृत वसीयतकर्ता की बेटियां हैं। उक्त तर्क को विस्तार से बताते हुए, यह आग्रह किया गया कि वसीयतकर्ता की मृत्यु तथाकथित वसीयत के निष्पादन के पंद्रह (15) दिनों की अवधि के भीतर, यानी 04 जनवरी, 1978 को हो गई क्योंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु 19 जनवरी, 1978 को हुई थी।

17. कि इसमें अपीलकर्ताओं ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया था और घर की संपत्ति पर 1990 का ओ. एस. No.5477 होने के कारण अलग कब्जा किया था।

चतुर्थ सहायक नगर सिविल न्यायालय, मद्रास के समक्ष और घर की संपत्ति में अपीलार्थियों के अधिकारों को विफल करने के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ई. श्रीनिवास पिल्लई की वसीयत गढ़ी थी। उक्त दस्तावेज़ एक मनगढ़ंत और जाली दस्तावेज़ है क्योंकि यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद पंद्रह वर्षों से अधिक समय से प्रकाश में नहीं आया था और प्रशासन के पत्रों के अनुदान की मांग करने वाली याचिका केवल अदालत से आग्रह करने के लिए दायर की गई थी।

18. यह आगे तर्क दिया गया कि तथाकथित वसीयतनामे के प्रमाणक मृतक वसीयतकर्ता को ज्ञात नहीं थे, वे वास्तव में हैं इसमें प्रथम वादी अर्थात प्रतिवादी सं. 1 को ज्ञात किया गया है।

19. यह भी आग्रह किया गया कि वसीयत का निष्पादन ही संदिग्ध है और इसलिए विद्वत विचारण न्यायाधीश ने ठीक ही खारिज कर दिया था

यहाँ उत्तरदाताओं का मुकदमा। हालाँकि, अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी तर्क के विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उलट दिया। अतः, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालय की खंड पीठ के विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार किया जा सकता है और विद्वत विचारण न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री को बहाल किया जा सकता है।

20. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील-मुकदमे में वादी, ने मौखिक और दस्तावेजी साक्षय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया अभिलेख और तर्क दिया कि वसीयत का निष्पादन भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के अनुसार साबित किया गया था। अपीलीय न्यायालय था

वसीयतकर्ता ई. श्रीनिवास पिल्लई द्वारा वसीयत के निष्पादन के तथ्य और इस तथ्य के बारे में आश्वस्त कि कोई संदिग्ध नहीं था वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियाँ।

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

इसलिए, अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले और डिक्री को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इसलिए, इसकी पुष्टि की जा सकती है।

21. हमने प्रतिद्वंद्वी को अपना विचारशील विचार दिया है।

पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ।

22. विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय ने निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया था

विद्वत विचारण न्यायाधीश की ओर से, इस प्रकार वादी-प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील को अनुमति दी जाती है और परिणामस्वरूप, उनके द्वारा दायर मुकदमे का आदेश दिया जाता है।

23. पक्षों के बीच संबंध विवाद में नहीं है। मृतक ई. श्रीनिवास पिल्लई पहले वादी के पति के पिता भी थे।

जैसा कि प्रतिवादियों के पिता बेटियाँ हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु 19 जनवरी, 1978 को हुई थी। यहाँ विवाद उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में है। यदि उनकी निर्वसीयत मृत्यु हो जाती, तो उनके बेटे और बेटियां समान रूप से घर की संपत्ति सहित उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार होते। लेकिन 4 जनवरी, 1978 के मृतक ई. श्रीनिवास पिल्लई के वसीयतनामे के आधार पर वादी के पक्ष में प्रशासन के पत्र देने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। यह भी विवाद में नहीं है कि उक्त वसीयतनामा पंद्रह वर्षों से प्रकाश में नहीं आया था और केवल अपीलकर्ताओं द्वारा विभाजन और अलग कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के बाद, यानी वसीयतकर्ता की बेटियाँ, यहाँ उत्तरदाताओं ने मृतक ई. श्रीनिवास पिल्लई की वसीयत के आधार पर प्रशासन के पत्र मांगे, जिसे 04 जनवरी, 1978 को निष्पादित किया गया था।

24. इस अपील में निर्धारण के लिए बिंदु का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ने से पहले, विद्वत विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से प्रासंगिक बिंदुओं को निकालना उपयोगी होगा।

25. विद्वत विचारण न्यायाधीश ने पी. डब्ल्यू. 1 के पहले वादी और पी. डब्ल्यू. 2 के साक्षय के बावजूद मुकदमे को खारिज कर दिया था। वसीयत के प्रमाणक (पूर्व-पी1) ने विस्तार से विचार करने के बाद और निम्नलिखित पहलुओं को नोट किया था:

वसीयतकर्ता ई. श्रीनिवास पिल्लई, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फांसी दी थी

(1)

4 जनवरी, 1978 को वसीयत (पूर्व-पी1) की मृत्यु 15 दिनों में हो गई थी।

बाद में।

वसीयत एक अपंजीकृत वसीयत है।

((ख)

(iii) वसीयतकर्ता के पुत्र, एस. दामोदरन एक अभ्यासी थे।

अधिवक्ता।

(iv) वसीयतकर्ता भी शिक्षित था।

(v) कि वसीयतकर्ता स्वस्थ और मानसिक स्थिति में नहीं था क्योंकि वह अपनी मृत्यु से पहले गंभीर रूप से बीमार और कमजोर था, जैसे

वह लकवाग्रस्त दौरे से पीड़ित थे।

(vi) पीडब्लू2 ने अपने साक्षय में कहा था कि वसीयतकर्ता लकवाग्रस्त हमले से पीड़ित था और अपनी मृत्यु से पहले अपना दाहिना हाथ और दाहिना पैर हिलाने में असमर्थ था और वह अपनी मृत्यु से पहले लगभग दस महीने तक घर में सीमित था और वह लिखने में असमर्थ था। (vii) वसीयतकर्ता के बेटे को वसीयत के निष्पादन के बारे में पता नहीं था और उसने वसीयत की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

एक ही।

(viii) वसीयतकर्ता के बेटे एस. दामोदरन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी

वादी संख्या 1, के पत्र मांगने के लिए आगे आया

प्रशासन।

(ix) पीडब्लू1 और उसके बीच तलाक की कार्यवाही चल रही थी

पति, एस. दामोदरन और उन्होंने भी सहमति दी थी

तलाक।

(x) हालांकि वसीयत लिखने वाले व्यक्ति को पता था

पीडब्लू1 के ससुर का नाम वसीयत में नहीं है

न ही वसीयत में कोई तारीख का उल्लेख है।

(xi) वसीयत (Ex-P1) ने लगभग पंद्रह वर्षों से दिन की रोशनी नहीं देखी थी, हालांकि वसीयतकर्ता का बेटा एक अभ्यासी था।

अधिवक्ता।

(xii) पीडब्लू2 ने स्वीकार किया कि वसीयत के निष्पादन के समय पीडब्लू1 कमरे के बाहर था जबकि पीडब्लू1 ने कहा कि जब वसीयत (एक्स-पी1) उसके ससुर द्वारा निष्पादित की गई थी तो वह मौजूद थी। इसलिए, संस्करणों में विसंगति मौजूद है।

पीडब्लू1 और पीडब्लू2 द्वारा साक्षय।

(xiii) पीडब्लू2 ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अधिवक्ता के अनुरोध पर हलफनामा दायर किया था, न कि अपनी मर्जी से। इसलिए, सबूत के साथ कोई वजन नहीं जोड़ा जा सकता था

पीडब्लू2।

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

(xiv) मृतक की बेटियों ने 1990 का ओ. एस. संख्या 5977 के रूप में विभाजन का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद ही वादी द्वारा पत्रों के अनुदान के लिए कार्यवाही शुरू की गई।

प्रशासन।

(xv) चूँकि वृषणकर्ता अपनी मृत्यु से पहले स्वस्थ नहीं था और पक्षाघात से पीड़ित था, इसलिए वह इस स्थिति में नहीं था कि

लिखें (चिन्ह)। इसलिए, यह संदेह है कि उसने निष्पादित किया था

करेंगे।

(xvi) सत्यापनकर्ता ने स्वयं स्वास्थ्य के बारे में स्वीकार किया था

वसीयतकर्ता की शर्त यह कहते हुए कि उसे वसीयत के पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय में नहीं ले जाया जा सकता है

लकवाग्रस्त हमले के कारण।

(xvii) वसीयत का निष्पादन अपने आप में संदिग्ध है और वसीयत के निष्पादन के संबंध में साक्षय ने संदिग्ध परिस्थितियों को दूर नहीं किया है।
(xviii) वसीयत पर भी सवाल उठाया जाता है क्योंकि बेटियाँ

घर की संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं है।

26. उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने वादी-उत्तरदाताओं द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।

27. डिवीजन बेंच, जिसके समक्ष अपील की गई थी,

यह देखने के बाद कि वसीयत का प्रमाण स्थापित करने के लिए भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 68 का पालन करना पड़ता है, नोट किया कि केवल एक प्रमाणक गवाह, अर्थात् वरदन से पीडब्लू 2 के रूप में पूछताछ की गई थी, क्योंकि अन्य प्रमाणक गवाह, अर्थात् दक्षिणामूर्ति जांच के लिए जीवित नहीं थे ताकि वसीयत की वास्तविकता की पुष्टि की जा सके जो कानून में अनुमेय है। 28. फैसले के पैराग्राफ 8 से 11 में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 8. इस न्यायालय ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों को भी सत्यापित किया है

पिछले में उपलब्ध हस्ताक्षरों के साथ वसीयत

दस्तावेज़ अर्थात्, पूर्व-पी2 स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, और पूर्व पी3, भवन योजना। सत्यापन पर, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वसीयत में उपलब्ध हस्ताक्षर के साथ मिलान किया गया है

स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उपलब्ध हस्ताक्षर और

भवन निर्माण योजना। हालाँकि उत्तरदाताओं द्वारा यह कहा गया है कि वसीयतकर्ताओं ने [2021] 14 एस. सी. आर. की अनुपस्थिति में अपीलार्थी के खिलाफ वैवाहिक याचिका दायर की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस पर कोई भी आदेश, यह न्यायालय ऐसी कार्यवाहियों को अधिक महत्व नहीं दे सकता है। साथ ही, प्रत्यर्थियों ने चतुर्थ सहायक नगर सिविल न्यायालय की फाइल पर वाद संपत्ति के विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया।

चेन्नई, जिसे लंबित बताया गया है।

9. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रोबेट के लिए कार्यवाही शुरू करने में अत्यधिक देरी होती है। इच्छा
से। इस संदर्भ में, यह कहा जाना चाहिए कि प्रोबेट कार्यवाही शुरू करने के लिए लिया गया समय और कारण निम्नलिखित हैं -

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए जाने वाले कारक। अतः उक्त तर्क विफल हो जाता है।

10. वसीयत के प्रमाण और वैधता की जांच कानून के तय किए गए प्रस्तावों जैसे कि प्रमाणक के साक्षय, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की तुलना, कानूनी सिद्धांत, वसीयतकर्ता के इरादे और

अन्य परिस्थितियों पर की जानी चाहिए। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश एकमात्र इस आधार पर आगे बढ़े कि वसीयत नहीं थी

लंबे समय से जांच की जा रही है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क को कानूनी सिद्धांतों के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है।

उनका ठीक से पालन नहीं किया जाता है।

11. पूर्वगामी कारणों से और ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय कानूनी रूप से पुष्ट है और उसे दरकिनार कर दिया जाता है। इस प्रकार, इस ओ. एस. ए. की अनुमति है। कोई लागत नहीं। नतीजतन, 2006 का जुड़ा हुआ C.M.P.No.9517 और

1492 2008 का बंद हो गया है।

29. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, विद्वत विचारण न्यायाधीश के निर्णय को खंड पीठ द्वारा उलट दिया गया था।

30. विवादित निर्णय की शुद्धता पर विचार करने से पहले

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के वसीयत के प्रमाण पर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी होगा:

(क) ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 443 में रिपोर्ट की गई वसीयत के प्रमाण पर इस न्यायालय के प्रसिद्ध फैसलों में से एक एच. वेंकटचाला के मामले में है।

अयंगर बनाम B.N.Thimmajamma, जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है किसी अन्य दस्तावेज़ के विपरीत एक वसीयतनामा के लिए आवश्यक प्रमाण की प्रकृति को अलग करना। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 18. वसीयत का प्रस्ताव करने वाला या अन्यथा वसीयत के तहत दावा करने वाला पक्ष निस्संदेह एक दस्तावेज़ को साबित करने की कोशिश कर रहा है और, मृत्यु और ओआरएस में।

वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

यह तय करते हुए कि इसे कैसे साबित किया जाना है, हमें अनिवार्य रूप से उन वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहिए जो दस्तावेजों के प्रमाण को नियंत्रित करते हैं। साक्षय अधिनियम की धारा 67 और 68 इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।

धारा 67 के तहत, यदि किसी दस्तावेज़ पर किसी के हस्ताक्षर होने का आरोप है

व्यक्ति, उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर उसकी लिखावट में साबित होने चाहिए, और अधिनियम की धारा 45 और 47 के तहत ऐसी लिखावट को साबित करने के लिए विशेषज्ञों और व्यक्तियों की राय होनी चाहिए।

संबंधित व्यक्ति की लिखावट से परिचित होना प्रासंगिक बनाया जाता है। धारा 68 कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि इस तरह के दस्तावेज़ का उपयोग सबूत के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है। ये प्रावधान उन आवश्यकताओं और प्रमाण की प्रकृति को निर्धारित करते हैं जिन्हें उस पक्ष द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जो अदालत में किसी दस्तावेज़ पर निर्भर करता है। इसी तरह, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 और 63 भी प्रासंगिक हैं। धारा 59 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वस्थ दिमाग वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो नाबालिग नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है और इस खंड के तीन चित्र इंगित करते हैं कि इस संदर्भ में "स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। धारा 63 में यह अपेक्षा की गई है कि वसीयतकर्ता वसीयत पर अपना निशान लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

उपस्थिति और उसके निर्देश से और यह कि हस्ताक्षर या चिह्न इस तरह से किया जाएगा कि यह प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य वसीयत के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना था। इस धारा में यह भी अपेक्षा की गई है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह प्रश्न कि क्या प्रोपाउंडर द्वारा स्थापित वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत साबित होती है, इन प्रावधानों के आलोक में तय किया जाना चाहिए। क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या वह इच्छा में प्रवृत्तियों की प्रकृति और प्रभाव को समझते थे? क्या उन्होंने वसीयत पर यह जानते हुए हस्ताक्षर किए थे कि उसमें क्या है? मोटे तौर पर यह इन प्रश्नों का निर्णय है जो वसीयत के प्रमाण के प्रश्न पर निष्कर्ष की प्रकृति को निर्धारित करता है। यह कहना प्रथम दृष्टया सही होगा कि वसीयत को विशेष आवश्यकताओं को छोड़कर किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना होगा।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा निर्धारित प्रमाणन। जैसा कि अन्य दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में होता है, इसलिए वसीयत के प्रमाण के मामले में गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण की उम्मीद करना बेकार होगा। लागू की जाने वाली परीक्षा ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि की सामान्य परीक्षा होगी। "[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में, वसीयत के प्रमाण के संबंध में कानूनी सिद्धांत अब एकीकृत नहीं हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63

और साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 68 इस संबंध में प्रासंगिक है। वसीयत के प्रस्तावक को एक या अधिक प्रमाणित करने वाले गवाहों की जांच करनी चाहिए और वसीयत के निष्पादन के संबंध में सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने की जिम्मेदारी प्रस्तावक पर रखी जाती है। उपरोक्त उल्लिखित मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि निम्नलिखित तीन पहलुओं को एक प्रस्तावक द्वारा साबित किया जाना चाहिए:

((ii) जब वसीयत के समर्थन में प्रस्तुत साक्षय निष्पक्ष, संतोषजनक और ध्वनि और निपटान स्थिति को साबित करने के लिए पर्याप्त हो। कानून, अदालतों द्वारा आवश्यक वसीयतकर्ता के दिमाग और उसके हस्ताक्षर

((iii) यदि किसी वसीयत को संदिग्ध के रूप में चुनौती दी जाती है। परिस्थितियों में, इस तरह के सभी वैध संदेहों को संदेह को दूर करने के लिए ठोस, संतोषजनक और पर्याप्त साक्षय द्वारा दूर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित की गई जिम्मेदारी को उसमें बताए गए आवश्यक तथ्यों के प्रमाण पर निर्वहन माना जा सकता है।

(ख) जसवंत कौर बनाम। अमृत कौर और अन्य [1977 1 एस. सी. सी. 369], इस न्यायालय ने बताया कि जब कोई वसीयत कथित रूप से संदेह में डूबी होती है, तो उसका प्रमाण वादी और प्रतिवादी के बीच एक साधारण झूठ नहीं होता है। आम तौर पर जो एक प्रतिकूल कार्यवाही होती है, वह ऐसे मामलों में न्यायालय की अंतरात्मा का विषय बन जाती है और फिर, विचार के लिए जो सही सवाल उठता है, वह यह है कि क्या, न्यायालय द्वारा दिए गए साक्षय

वसीयत का प्रस्तावक ऐसा होता है जिससे न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्टि होती है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत का विधिवत निष्पादन किया गया था। इस तरह की संतुष्टि तक पहुंचना तब तक असंभव है जब तक कि वसीयत तैयार करने वाला पक्ष किसी भी संदिग्ध मामले के संबंध में ठोस और ठोस स्पष्टीकरण नहीं देता है।

वसीयत बनाने के आसपास की परिस्थिति।

(ग) भारपुर सिंह और अन्य बनाम। शमशेर सिंह [2009 (3) एस. सी. सी. 687], पैरा 23 में, इस अदालत ने कुछ संदिग्ध बयान दिए हैं।

परिस्थिति, उदाहरण के रूप में लेकिन संपूर्ण नहीं होने के नाते, निम्नलिखित में तरीका -

" 23. वसीयत के निष्पादन में निम्नलिखित जैसी संदिग्ध परिस्थितियाँ शामिल पाई जा सकती हैं:

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

(i) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर बहुत अस्थिर और संदिग्ध हो सकते हैं।

या उनके सामान्य हस्ताक्षर प्रतीत नहीं होते हैं।

((ii) वसीयतकर्ता के मस्तिष्क की स्थिति बहुत कमजोर हो सकती है और

उपयुक्त समय पर दुर्बल।

((iii) स्वभाव अप्राकृतिक, असंभव या अनुचित हो सकता है।

प्रासंगिक परिस्थितियों जैसे बहिष्करण या अनुपस्थिति का प्रकाश

प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के लिए बिना किसी कारण के पर्याप्त प्रावधान।

(iv) स्वभाव वसीयतकर्ता के निर्णय का परिणाम प्रतीत नहीं हो सकता है।

स्वतंत्र इच्छा और मन।

(v) प्रोपाउंडर निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है

करेंगे।

(vi) वसीयतकर्ता खाली कागजों पर हस्ताक्षर करता था।

(vii) वसीयत ने लंबे समय तक दिन की रोशनी नहीं देखी। (viii) आवश्यक तथ्यों का गलत पाठ।

यह आगे देखा गया कि परिस्थितियों का वर्णन किया गया है

एनबीफोरआ आबुं नङा। एक उचित की पेशकश के अधीन

राष्ट्र, उसके अस्तित्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए

किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या वसीयत का निष्पादन

उचित रूप से साबित हुआ या नहीं। यह सच हो सकता है कि वसीयत एक पंजीकृत थी और इसका मतलब यह नहीं होगा कि वसीयत की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।(घ) नारंजन उमेशचंद्र जोशी बनाम। मृदुला ज्योति राव, [(2006) सी. सी. 433], पैरा 34 से 37 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 34. ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जो इस न्यायालय द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में वर्णित किया गया:

(1)

जब स्थिति के संबंध में संदेह पैदा किया जाता है

वसीयत पर हस्ताक्षर करने के बावजूद वसीयतकर्ता का मन;

((ख)

जब स्वभाव अप्राकृतिक या पूरी तरह से प्रतीत होता है

प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में अनुचित; जेराव प्रोपाउन्डार गावनो गाहाय बाहागो लायो।

(iii)

वसीयत का निष्पादन जो उसे पर्याप्त लाभ प्रदान करता है।

35. हम बार में उद्धृत निर्णयों में गहराई से नहीं जा सकते हैं

इस प्रश्न पर हाल ही में इन न्यायालयों द्वारा [2021] 14 एस. सी. आर. में विचार किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

B.Venkatamuni v. सी. जे. अयोध्या राम सिंह [(2006) 13 एससीसी 449] , जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के उचित निष्पादन के संबंध में अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए और न्यायालय केवल इस मामले में गहराई से जांच करने से इनकार नहीं करेगा क्योंकि वसीयत पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर हैं

अन्यथा सिद्ध हुआ।

36. वसीयत के प्रमाण की आवश्यकता दस्तावेज़ को पढ़ने के आधार के रूप में नहीं है, बल्कि न्यायाधीश को इसके बारे में उचित आश्वासन देने के लिए है कि यह क्या है। 37. हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि एक अंतर मौजूद है जहाँ संदेह अच्छी तरह से स्थापित हैं और ऐसे मामले जहाँ केवल संदेह हैं। अकेले संदिग्ध परिस्थितियों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं हो सकता है। अदालत संदेह के साथ शुरुआत नहीं कर सकती है और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अपना दिमाग बंद नहीं करना चाहिए। न्यायाधीश से एक दृढ़ और अभेद्य अविश्वास की मांग नहीं की जाती है, भले ही

गंभीर संदेह की परिस्थितियाँ मौजूद हैं।

(ई) अनिल काक बनाम में यह न्यायालय। शारदा राजे, [(2008) 7 एस. सी. सी. 695], निम्नानुसार:

" 20. अनिल काक बनाम में यह न्यायालय। शारदा राजे ने कहा कि

न्यायालय को एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और इसके अलावा

संदिग्ध के अस्तित्व के रूप में अपने विवेक को संतुष्ट करने की आवश्यकता है

परिस्थितियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, धारण करती हैं:

52. जबकि किसी अन्य दस्तावेज़ के निष्पादन को साबित किया जा सकता है।

संदिग्ध होने की स्थिति में दस्तावेज़ के लेखन या उसकी सामग्री को साबित करके और उसके निष्पादन को भी

जिन परिस्थितियों में पक्षकार वसीयत की एक प्रति के साथ प्रोबेट और/या प्रशासन के पत्र प्राप्त करना चाहता है, उसे अदालत की संतुष्टि के लिए साक्षय भी प्रस्तुत करना चाहिए, इससे पहले कि वह कर सके।

वास्तविक के रूप में स्वीकार किया जाए।

53. चूंकि प्रोबेट देने का आदेश एक निर्णय है, इसलिए अदालत को आदेश पारित करने से पहले अपनी अंतरात्मा को भी संतुष्ट करना चाहिए।

एक के प्रोबेट देने से पहले अदालतों द्वारा विचार करेंगे।

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

55. अन्य दस्तावेजों के विपरीत, एनिमस अटेस्टैंडी भी एक है

प्रमाणन साबित करने के लिए आवश्यक घटक "।

(च) इसी प्रकार, लीला राजगोपाल और अन्य में v. कमला मेनन

चरण और अन्य, [(2014) 15 एस. सी. सी. 570], इस न्यायालय ने निम्नानुसार राय दी:

" 13. एक वसीयत की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं और हो सकता है कि उसे निष्पादित किया गया हो।

कुछ परिस्थितियों में जो कुछ हद तक प्रतीत हो सकते हैं

अप्राकृतिक। वसीयत में दिखाई देने वाली ऐसी असामान्य विशेषताएँ या उसके निष्पादन के आसपास की अप्राकृतिक परिस्थितियाँ निश्चित रूप से उसे स्वीकार करने से पहले एक करीबी जांच को उचित ठहराएंगी। यह इस तरह की जांच के आधार पर अदालत का समग्र मूल्यांकन है; असामान्य विशेषताओं और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव जो उसके द्वारा किए जाने वाले आवश्यक निर्धारण में अदालत के साथ वजन करेगा। न्यायिक निर्णय, अंतिम उपाय में, सभी असामान्य विशेषताओं और संदिग्ध परिस्थितियों को

एक साथ रखने पर विचार करने के आधार पर होगा, न कि किसी एक विशेषता के प्रभाव पर जो किसी वसीयत या एकल परिस्थिति में पाया जा सकता है जो उसके निष्पादन की प्रक्रिया से प्रकट हो सकता है या

पंजीकरण। यह इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार की गई घोषणाओं का सार है, जिसमें निर्दिष्ट निर्णय भी शामिल हैं।

हमारे सामने और उस पर भरोसा किया।

31. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, वसीयत (पूर्व-पी1) 1 की अंतिम वसीयत और मृतक ई. श्रीनिवास पिल्लई के वसीयतनामे के रूप में वैधता पर विचार किया जाएगा। वसीयत (एक्स-पी1) पढ़ने पर, हम ध्यान देते हैं कि अचल संपत्ति जिसमें हाउस नंबर 6/1 अज़ीज़ नगर, 2nd स्ट्रीट, कोडमबक्कम, द्रास-600024 है और उस पर स्थित इमारत लगभग दो आधार है जिसे वसीयतकर्ता द्वारा वर्ष 1953 में खरीदा गया था, वह विषय है जो उन्होंने अपने बेटे एस. दामोदरन को दिया था, जो मद्रास में वकालत करते थे।

ई आगे निम्नानुसार पाठ करेगा:

" मैं चाहता हूं कि यह घर मेरे बेटे एस. दामोदरन को जाना चाहिए और उन्हें बिना किसी शर्त के विरासत में मिलना चाहिए और मैं इसमें इसे आवश्यक होने पर इसे निपटाने सहित सभी शक्तियों के साथ पूरी तरह से उन्हें हस्तांतरित करता हूं। इस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई दावा नहीं होना चाहिए। जैसे-जैसे मैं बीमार हो रहा हूँ और कमजोर हो रहा हूँ, मैं अपनी उपस्थिति में इस वसीयत पर हस्ताक्षर करता हूँ। इन दो गवाहों में से जो जनवरी, 1978 के चौथे दिन मेरे सामने उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में मेरे हस्ताक्षर किए।

इस स्तर पर हम ध्यान देते हैं कि वसीयत स्वयं यह बताती है कि वसीयतकर्ता बीमार है और कमजोर हो रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने कहा है कि

वसीयत के निष्पादन में संदिग्ध परिस्थितियाँ। उन्होंने संक्षेप में कहा:

((i) वसीयतकर्ता की वसीयत की तारीख और मृत्यु की तारीख भी

बंद मन की ध्वनि निपटाने की स्थिति पर संदेह डालता है

परीक्षक का। टेस्टेटर अपनी मृत्यु से पहले बिस्तर पर था क्योंकि वह पीड़ित था

((ख)

पक्षाघात से।

(iii)

प्रमाणक (पी. डब्ल्यू. 2) पहले वादी को ज्ञात होने के कारण, वसीयत का प्रस्तावक, लेकिन मृत वसीयतकर्ता के लिए नहीं।

((iv) प्रथम वादी का पति और वसीयतकर्ता का पुत्र,

जो एक अभ्यास करने वाले अधिवक्ता थे, अपने जीवनकाल के दौरान वसीयत के निष्पादन से अनजान थे।

(v)

वसीयत पर हस्ताक्षर (Ex-P1) के साथ मेल नहीं खाता है

एक्स-पी2 (एस. एस. एल. सी. रजिस्टर) और एक्स-पी3 (मंजूरी योजना का निष्कर्ष) पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर।

(vi)

पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के साक्षय विश्वसनीय नहीं हैं।

(€ vii) पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के साक्षय में विसंगति मौजूद है। (viii) कि प्रतिवादी-वादी अदालत की अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए इच्छा को साबित करने में विफल रहे हैं और निष्पादन में संदिग्ध परिस्थितियों को नहीं हटाया है।

इच्छा से।

33. अब हम उपरोक्त पहलुओं में से प्रत्येक पर चर्चा करेंगे।

(अ)

वसीयत की तारीख (पूर्व-पी1) 04 जनवरी, 1978 है। द.

वसीयतकर्ता ई. श्रीनिवास पिल्लई का 19 जनवरी, 1978 को फांसी की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर निधन हो गया। करेंगे। यहां तक कि वसीयत पढ़ने पर भी, यह ध्यान दिया जाता है कि वसीयतकर्ता ने खुद कहा है कि वह बीमार था और कमजोर हो रहा था, फिर भी कहा जाता है कि उसने खुद वसीयत "लिखी" थी जो विश्वसनीय नहीं है। इसे पीडब्लू2 द्वारा अपदस्थ कर दिया गया है, जिसमें से एक

वसीयत के प्रमाणक, कि वसीयत को पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि वसीयतकर्ता अस्वस्थ था और वास्तव में, वह बिस्तर पर था। यह भी सबूत में आया है कि वसीयतकर्ता को एक लकवाग्रस्त स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था जिसने उसकी बोली, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर की गतिशीलता को प्रभावित किया था। वह कुछ समय के लिए मृत्यु और ओआरएस के लिए बिस्तर पर थे।

वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

उनकी मृत्यु से दस महीने पहले। उपरोक्त दो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर संदेह पैदा किया जाता है कि क्या वसीयतकर्ता उस वसीयतनामा को बनाने के समय स्वस्थ और मानसिक स्थिति में था।

उनकी मृत्यु से पंद्रह दिन पहले।

टेस्टेटर का इलाज करने वाले डॉक्टर का कोई सबूत नहीं

अभिलेख पर रखा गया है ताकि यह साबित किया जा सके कि वसीयतकर्ता वसीयत के निष्पादन के समय एक स्वस्थ और निपटान की स्थिति में था।

यह तथ्य कि वसीयतकर्ता की वसीयत के निष्पादन की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई, वसीयतकर्ता की सोचने की क्षमता और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर संदेह पैदा करता है। न्यायालय के मन में उक्त संदेह को प्रस्तावक द्वारा दूर नहीं किया गया है

पहला वादी किसी भी विपरीत चिकित्सा को प्रस्तुत करके

इलाज कर रहे डॉक्टर का सबूत या सबूत

उसकी मृत्यु से पहले वसीयतकर्ता।

इस संदर्भ में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 पर निर्भरता रखना उपयोगी होगा। यह बताता है कि वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करने होते हैं और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर ऐसे होने चाहिए कि वह ऐसा करने का "इरादा" रखता है।

वसीयत लिखने को प्रभावी बनाना। इसलिए,

इच्छा की वास्तविकता को साबित करना होगा

वसीयत करने वाले का बेटा। इसके अलावा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) में सबसे पहले कहा गया है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों/सत्यापनकर्ताओं द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक को वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को उसकी

उपस्थिति में देखना चाहिए था, या वसीयतकर्ता से एक व्यक्तिगत पावती [2021] 14 एस. सी. आर. प्राप्त हुई है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इसके निष्पादन के दृष्टिकोण से मान्य होगा। तत्काल मामले में, दो प्रमाणक हैं, पी. डब्ल्यू. 2-वरदन और दक्षिणमूर्ति और बाद वाले की मृत्यु हो गई थी। अभिलेख पर साक्षय भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार होना चाहिए जो दस्तावेजों के प्रमाण से संबंधित है जो जनादेश प्रमाणन। दस्तावेज़ के निष्पादन को साबित करने के लिए, जैसे कि एक वसीयतनामा, कम से कम एक सत्यापित करने वाले गवाह, जिन्होंने इसे प्रमाणित किया था, को उसके निष्पादन के प्रमाण के उद्देश्य से सबूत देने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

चूंकि प्रमाणकों में से एक, अर्थात् दक्षिणमूर्ति की मृत्यु हो गई थी, पी. डब्ल्यू. 2, वरदन ने वसीयत के प्रमाणकों में से एक के रूप में अपना साक्षय दिया था। हालाँकि, पीडब्लू2 का बयान ऐसा है कि यह वादी के मामले के लिए घातक है। पीडब्लू2 के साक्षय को निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है:

((i) वह वसीयत करने वाले का दोस्त था और वह अक्सर

दो या तीन दिनों में एक बार वसीयतकर्ता के पास जाना।

((ख)

उन्होंने एक्स-पी1 पर पहले प्रमाणक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए।

पूर्व-पी1। हालाँकि, उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि वसीयतकर्ता को वसीयत दर्ज करने के लिए पंजीयक के कार्यालय ले जाना संभव नहीं था क्योंकि वसीयतकर्ता की हालत ठीक नहीं थी और वह बहुत गंभीर रूप से बीमार था, वह पक्षाघात से पीड़ित था। उन्होंने स्वीकार किया है कि वसीयतकर्ता से पीड़ित था

(iii) दाहिने हाथ और दाहिने पैर का पक्षाघात और मृत्यु से पहले, लगभग 10 महीने से बीमार थे और कैद में थे अपने घर में और लिखने की स्थिति में नहीं।

(iv) पीडब्लू2 ने यह भी कहा है कि उन्होंने वसीयतकर्ता के बेटे एस. दामोदरन को वसीयत के बारे में खुलासा नहीं किया था और अपने जीवनकाल के दौरान एस. दामोदरन को इसकी जानकारी नहीं थी।

वसीयत को उसके पिता द्वारा निष्पादित किया गया।

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

(v)

एस. दामोदरन, (जो एक वकील थे) रहते थे।

वसीयत के निष्पादन के बाद लगभग ग्यारह वर्षों तक (Ex-P1) और चूंकि वह वसीयत से अनजान था उसके पिता द्वारा निष्पादित किया गया, उसने खोजने के लिए कदम नहीं उठाए

इच्छा की जाँच।

(vi) उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

निर्देश पर और द्वारा अनुरोध के अनुसार मुकदमा

वकील।

ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू2 के साक्षय पर विश्वास नहीं किया है। यह अत्यधिक असंभव है कि वसीयतकर्ता का एकमात्र पुत्र, जो एक वकील था और जिस पर घर का वसीयत किया गया था, अपने पिता द्वारा वसीयत के निष्पादन से अनजान था। यह अस्वाभाविक है कि पिता ने अपने इकलौते बेटे को संपत्ति की वसीयत के बारे में खुलासा नहीं किया होगा, (विशेष रूप से

जब बेटा एक वकील था) और उसने मसौदा तैयार करने के साथ-साथ निष्पादन में भी अपने बेटे की सहायता नहीं ली थी

इच्छा से।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है

इस तथ्य के लिए कि वसीयत (एक्स पी 1) पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर एक्स-पी 2 और एक्स-पी 3 पर उनके हस्ताक्षर के साथ मेल नहीं खाते हैं। हमने उक्त हस्ताक्षरों की तुलना की है। भले ही

कहा गया है कि उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अलग-अलग समय पर किए गए हैं, हम पाते हैं कि वे पूरी तरह से भिन्न हैं क्योंकि पूर्व-पी 2 और पी 3 पर हस्ताक्षर एक-दूसरे से मिलते-जुलते नहीं हैं और वसीयत पर हस्ताक्षर (पूर्व-पी 1) पूर्व-पी 2 और पी 3 पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर से भिन्न है, विशेष रूप

से 'ई' अक्षर। यह तथ्य इस न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है कि क्या एक्स-पी1 पर हस्ताक्षर वास्तव में वसीयतकर्ता के थे। इसके अलावा अगर वास्तव में वसीयतकर्ता खुद था

वसीयत के पाठ के फ़ॉन्ट और उसकी वसीयत लिखी गई

हस्ताक्षर बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं।

इच्छा का प्रवर्तक, आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। हम करेंगे। उसी पर प्रकाश डालें:

पीडब्लू1 ने कहा है कि एक्स-पी1 को लगभग निष्पादित किया गया था

((i)

वसीयतकर्ता की मृत्यु से पंद्रह दिन पहले जो उसके ससुर थे और वही [2021] 14 एस. सी. आर. में था।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वसीयतकर्ता की अभिरक्षा। पूर्व-पी1 ने वसीयतकर्ता के बेटे की मृत्यु के बाद ही दिन का प्रकाश देखा है, जो वसीयत से अनजान था और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विभाजन और संपत्ति या संपत्ति के अलग कब्जे की मांग कर रहा था। के निधन के बाद वसीयत की अभिरक्षा के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है

वसीयतकर्ता और पंद्रह वर्षों से अधिक समय तक।

पीडब्लू1 ने कहा है कि वसीयत को गुप्त रखा गया था

((ख)

उसे अपने पति की अलमारी में रखें और वह उसकी मृत्यु के पंद्रह दिनों के बाद ही उसे बाहर निकालती है। इस स्वीकारोक्ति का तात्पर्य है कि केवल पीडब्लू1 को निष्पादन के बारे में पता था

वसीयत के साथ-साथ गुप्त स्थान जहाँ यह था

रखा गया। यदि वसीयत वसीयतकर्ता की अभिरक्षा में थी जैसा कि पीडब्लू1 द्वारा अपदस्थ किया गया था, तो इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि दस्तावेज़ को उसके पति की अलमारी में कैसे जगह मिली, विशेष रूप से, जब वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु से पहले पिछले कुछ महीनों (दस महीने) के दौरान बिस्तर पर पड़ा हुआ था और स्थानांतरित करने की स्थिति में नहीं था।

चारों ओर। पीडब्लू 1 ने कहा है कि वसीयत एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी

(iii)

उसके ससुर को पता था लेकिन व्यक्ति का नाम वसीयत किसने लिखी, इसका उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। लेखक का कोई उल्लेख या सबूत नहीं है

इच्छाशक्ति।

(iv) पीडब्लू1 ने यह भी स्वीकार किया है कि वसीयत के ऊपर किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, वसीयत के निष्पादन की तारीख को भी जगह नहीं मिली है

पूर्व-पी1। यह पहलू भी संदेह पैदा करता है कि क्या

वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत को उसके दौरान निष्पादित किया गया था

जीवन भर।

(v)

पीडब्लू1 ने कहा है कि एक्स-पी1 को उसके द्वारा निष्पादित किया गया था ससुर और वह मौजूद थी जब यह था

निष्पादित लेकिन पीडब्लू2, प्रमाणक ने कहा है कि वसीयत के निष्पादन के समय पीडब्लू1 कमरे के बाहर था।

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी के वकील को प्रस्तुत करने में बहुत बल पाते हैं।

((i)

दूसरी ओर, के संबंध में डी. डब्ल्यू. 1 का साक्षय

यह तथ्य कि वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वह लकवाग्रस्त हमले से पीड़ित था और लिखने की स्थिति में नहीं था, पी. डब्ल्यू. 2 ने भी अपने साक्षय में स्वीकार किया है कि वसीयतकर्ता को वसीयत के पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय में नहीं ले जाया जा सकता था।

क्योंकि वह लकवाग्रस्त आघात से पीड़ित थे।

(1)

यह भी सबूत में आया है कि कोई सौहार्दपूर्ण नहीं था

पहले वादी और उसके पति एस. दामोदरन के बीच संबंध और वास्तव में विवाह भंग करने की कार्यवाही शुरू की गई जो उसके लिए निष्फल हो गई।

मृत्यु हो जाती है।

34. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि उत्तरदाताओं

वादी संदिग्ध परिस्थितियों में कानून के अनुसार वसीयत की वैधता को साबित करने में सफल नहीं हुए हैं।

वसीयत के निष्पादन के आसपास किसी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है

ठोस साक्षय, बल्कि, एक्स-पी1 की वास्तविकता संदेह में बनी हुई है। यह देखा गया है कि वसीयत (एक्स-पी1) वसीयतकर्ता के कहने पर अस्तित्व में नहीं आई थी, लेकिन यह एक मनगढ़ंत दस्तावेज है और एस. दामोदरन के निधन के बाद उठाया गया है।

35. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि

वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियाँ। इसलिए, एक्स-पी1, कानून की नजर में एक वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थियों-वादियों को कोई प्रशासन पत्र नहीं दिया जा सकता है। 36. इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने मुकदमे को खारिज करने में सही था। हालांकि, अपीलीय न्यायालय ने डिवीजन बेंच होने के नाते इस फैसले और डिक्री को उलट दिया है।

ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक भागों को निकालने पर, जिसमें ग्यारह शामिल हैं

पैराग्राफ में, यह पाया गया है कि इसे गुप्त तरीके से लिखा गया है। यह देखा गया है कि निर्णय संक्षिप्त और संक्षिप्त हो सकता है यदि अपीलीय न्यायालय किसी अपील को खारिज करता है और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री की पुष्टि करता है। लेकिन जब निचली अदालत का फैसला और डिक्री [2021] 14 एस. सी. आर. होनी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके उलट तब अपीलीय न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह मामले पर विस्तार से विचार करे और इसे उलटने के कारण बताए। कारण निर्धारित करना न केवल निर्णय को हितकर बनाता है, बल्कि यह निष्कर्ष निकालने और न्यायपूर्ण निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए भी आवश्यक है।

37. इस मामले से अलग होने से पहले हम दोहराना चाहेंगे कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने विद्वानों के फैसले पर विचार किया है।

एक संक्षिप्त विधि में विचारण न्यायाधीश, तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों पर विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए सभी तर्कों से रहित। यह सामान्य बात है कि अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णय को उलटने, पुष्टि करने या संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र है। हालाँकि, किसी विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते या संशोधित करते समय, अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपने निर्णय में, कारणों द्वारा समर्थित अभिलिखित निष्कर्षों पर, सभी मुद्दों पर विचार करने के साथ-साथ पेश की गई दलीलों और पक्षकारों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए दबाव डालने पर विचार करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपीलीय न्यायालय इसकी पुष्टि करता है विचारण न्यायालय के निर्णय में, तर्क को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि साक्षय का पुनर्मूल्यांकन और विचारण न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार आवश्यक सहवर्ती हैं। लेकिन निचली अदालत के फैसले को पलटते समय, अपीलीय अदालत को ऐसा करने के कारणों को निर्धारित करने में अपने कर्तव्य के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए।

38. इस संबंध में, हम संतोष हजारी बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर उपयोगी रूप से भरोसा कर सकते हैं। एल. आर. द्वारा पुरुषोत्तम तिवारी (मृतक) -

(2001) 3 एस. सी. सी. 179, जिसमें यह देखा गया है कि प्रत्यावर्तन का निर्णय लिखते समय, एक अपीलीय न्यायालय को दो सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सबसे पहले, विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त परस्पर विरोधी साक्षय के आधार पर तथ्यों के निष्कर्षों को अपीलीय न्यायालय के साथ तोलना चाहिए, विशेष रूप से तब जब निष्कर्ष उसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज मौखिक साक्षय पर आधारित हों जो निर्णय का लेखक हो। यदि साक्षय के मूल्यांकन पर यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय का निर्णय भौतिक अनियमितता से ग्रस्त है या अस्वीकार्य साक्षय या अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है, तो अपीलीय न्यायालय तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का हकदार है, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस कारण निर्धारित करता है। अन्यथा, तथ्य के प्रश्न पर विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, तथ्य के निष्कर्ष को उलटते समय, यह आवश्यक है कि अपीलीय न्यायालय ऐसा करने के लिए अपने स्वयं के कारण निर्धारित करे। यह विशेष रूप से तब होता है जब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत आगे की अपीलें होती हैं, क्योंकि पहला अपीलीय न्यायालय तथ्यों का अंतिम न्यायालय होता है और उक्त निष्कर्ष दूसरी अपील में चुनौती देने से मुक्त होते हैं।

मृत्यु और ओआरएस। वी. सी. सारदाम्बल और ओआरएस।

[बी. वी. नागरत्ना जे.]

39. बी. वी. नागेश बनाम एच. वी. श्रीनिवास मूर्ति-(2010)

530 , यह न्यायालय इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णयों पर ध्यान दे रहा है

उपरोक्त सिद्धांत को इन शब्दों में व्यक्त किया: (एससीसी पीपी। 530

आरस 3-5)

" 3. अपीलीय न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा नियमित पहली अपील का निपटारा कैसे किया जाना है, इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में विचार किया गया है।

निर्णय लेते हैं। आदेश 41 सी. पी. सी. पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है

विभिन्न निर्णय। आदेश 41 सी. पी. सी. मूल फरमानों की अपीलों से संबंधित है। विभिन्न नियमों में, नियम 31 यह आदेश देता है कि -

अपीलीय न्यायालय के निर्णय में कहा जाएगा:

(क) निर्धारण के लिए बिंदु;

उस पर निर्णय;

(ख)

निर्णय के कारण; और

((ग) ((घ)

जहाँ से अपील की गई डिक्री को उलट दिया जाता है या बदल दिया जाता है, वह राहत जिसके लिए अपीलार्थी हकदार है।

4. अपीलीय न्यायालय के पास उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है विचारण न्यायालय के निष्कर्ष। पहली अपील का एक मूल्यवान अधिकार है

पक्षकार और जब तक कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, तब तक पूरा मामला उसमें है।

तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर पुनः सुनवाई के लिए खुला। इसलिए, अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपनी चेतना को प्रतिबिंबित करना चाहिए सामने रखी गई दलीलों के साथ उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर, और पक्षकारों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए दबाव डालने पर, कारणों द्वारा समर्थित दिमाग और रिकॉर्ड निष्कर्षों का अनुप्रयोग। पहली अपील की अदालत के रूप में बैठते हुए, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह सभी मुद्दों और पहले पक्षकारों के नेतृत्व में साक्षय से निपटे।

अपने निष्कर्षों को दर्ज करें। पहली अपील एक मूल्यवान अधिकार है और पक्षकारों को कानून के प्रश्नों और तथ्यों दोनों पर सुनवाई का अधिकार है और पहली अपील में निर्णय को कानून और तथ्य के सभी मुद्दों को संबोधित करना चाहिए और समर्थन में कारण देकर इसका निर्णय लेना चाहिए।

निष्कर्षों से। (वीडियो संतोष हजारी बनाम। पुरुषोत्तम तिवारी - (2001) 3 एस. सी. सी. 17 9 पी. 188 पैरा 15 और मधुकर बनाम। संग्राम-(2001) 4 एस. सी. सी. 756 पी. 758 , पैरा 5 "।

40. इसी तरह के प्रभाव के लिए, विनोद ए. आर. वी. में इस न्यायालय की टिप्पणी है। गंगाधर-(2015) 1 एस. सी. सी. 391, जिसमें यह देखा गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत पहली अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त दायरे और शक्तियां [2021] 14 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता के आदेश एक्स. एल. आई. में वर्णित और अपील में उठाए गए आधार, पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्षय का पुनर्मूल्यांकन और प्रासंगिक कानूनी सिद्धांतों और तय किए गए मामले के कानून को लागू करने पर यह तय करते समय विचार किया जाना चाहिए कि क्या निचली अदालत के फैसले को कायम रखा जा सकता है।

या नहीं।

41. यह भी देखना आवश्यक है कि अपील करने का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है। मूल न्यायालय के निर्णय पर हमला करने वाले असफल पक्ष द्वारा अपील दायर करने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और इसलिए तथ्य और लागू कानून दोनों के प्रश्नों पर पहली अपील पर निर्णय लेने का कर्तव्य अपीलीय न्यायालय पर डाला गया है। अतः पुनर्मूल्यांकन

संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों और न्यायिक पूर्ववर्ती और मामले में लागू कानून के आलोक में साक्षय होना चाहिए

ईमानदारी से निपटा गया। 42. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वत विचारण न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दिए गए फैसले को उलट दिया है

साक्षय का पुनर्मूल्यांकन और तथ्य के प्रश्नों के साथ-साथ लागू कानून पर निष्कर्ष दिए बिना और यह तर्क न देकर कि विद्वत विचारण न्यायाधीश का निर्णय गलत क्यों था।

43. इन परिस्थितियों में, हमने 08 दिसंबर, 2008 को उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले और डिक्री को दरकिनार कर दिया।

2002 का ओ. एस. ए. 470 और ओ. टी. एस. सं. 20/1994 दिनांक 14 जनवरी, 2000 में पारित विद्वत विचारण न्यायाधीश के निर्णय को तत्काल अपील की अनुमति देकर पुनर्स्थापित करें।

44. पक्षों के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए, वे अपने-अपने खर्च वहन करेंगे।

45. वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।